शिक्षा में महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार संरक्षरण

Ambar Vashishth[1], Neha Bansal[2]

[1]Student, [2]Research Scholar
[1]IFTM University, [2]Shri Venkteshwra University

सार(Abstract)–

प्रस्तुत शोधपत्र में, महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार संरक्षण के विषय में वर्णन किया गया है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिससे महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वारा खुले नए विकल्प तैयार है।

महिला सशक्तिकरण से भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है जहाँ महिलाएं परिवार और समाज के सब बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। भारत में आज भी नारी को केवल एक काम करने वाली महिला के रूप में समझाा जाता है। महिला त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य विधि है। इस शोध पत्र के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, आवश्यकता तथा महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित विभिन्न आयाम व राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

Key words– महिला सशक्तिकरण, सामाजिक एवं आर्थिक विकास महिला अधिकार संरक्षण

Introduction :-

आज के आधुनिक समय में महिला सषक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है, लेकिन विडम्बना तो देखिए नारी में इतनी शक्ति होने के बाबजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यन्त आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती है।

राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे है महिलाओं के कई क्षेत्र में विकास की जरूरत है। भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे–दहेज प्रथा, अशिक्षा, मौन, हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा, वैश्यावृति, मानव तस्करी ओर ऐसे दूसरे विषय। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आयेगा जब भारत में इन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और इन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता :–

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते है।भारत में नारी का स्थान हमेशा से ही गंभीर विषय रहा है। भारत में आज भी नारी को केवल एक काम करने वाली महिला के रूप में समझा जाता है। भारत का इतिहास साक्षी रहा है कि भारतीयों ने नारी जाति को हमेशा एक बहुत अच्छा स्थान प्रदान किया है। प्राचीन काल के अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के समान स्तर में काफी कमी आयी। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएँ कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदो पर पदस्थ है,फिर भी सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरूषों की अपेक्षा काफी पीछे है। भारत में पुरूषों की शिक्षा दर 81.3. %है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.6% ही है। महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक विषयहै। यह सक्रिय,

बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो महिलाओं को अपनी पहचान व शक्ति को सभी क्षेत्रों में महसूस करने के योग्य बनाता है। महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रों में असमानता का व्यवहार किया जाता है। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा, पोषण कानूनी सभी क्षेत्रों में भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। आर्थिक सशक्तिकरण की अगर बात करे तो, यदि स्त्री पढ़ी लिखी है और आर्थिक तौर पर सुद्रढ़ हो जाए तो क्या उसके प्रति समाज का रवैया बदल जाता है ? यह प्रश्न नारी वर्ग के मन में सहज उत्पन्न होता है ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि विकसित देशों में जहाँ स्त्री का जीवन स्तर ऊँचा है वहाँ भी उसका दमन होता है। वहाँ भी असमानता मौजूद है।

भारत की लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है मतलब पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आवादी की जरूरत है जो कि अभी भी अषक्त नही है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में महिलाओं की स्थिति कैसी होगी।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएँः–

भारतीय समाज एक ऐसा समाज है, जिसमें कई तरह के रिवाज, मान्यताएँ और परम्परायें शामिल है। इनमें से कुछ पुरानी मान्यताएँ और परंपरायें ऐसी भी है जो भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती है। उन्हीं बाधाओं में से कुछ निम्नलिखित है –

(1) पुरानी और रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आजादी नही होती है।

(2) समाज में पुरूष प्रधानता के वर्चस्व के कारण महिलाओं के लिए समस्याएँ उत्पन्न होती है। पिछले कुछ समय में कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़नों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है और पिछले कुछ दशकों में लगभग 170% वृद्धि देखने को मिली हैं।

(3) कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। निजी क्षेत्र जैसे कि सेवा उद्योग, साफ्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है।

(4) हालांकि पिछले कुछ दषकों सरकार द्वारा लिए गए प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह जैसी कुरीति को काफी हद तक कम कर दिया गया है लेकिन 2018 में यूनिसैफ के एक रिर्पोट द्वारा पता चलता है, कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, जल्द शादी हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रूक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यस्क नहीं हो पाती है।

(5) समान कार्य को समान समय तक करने के बाबजूद भी महिलाओं को पुरूषों के अपेक्षा काफी कम भुगतान किया जाता है और इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरूषों के मध्य के शक्ति असमानता को प्रदर्षित करते है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरूष समकक्षों के तरह समान अनुभव और योग्यता होने के वावजूद पुरूषों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है।

(6) कन्या भ्रूण हत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात, भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी वाधाओं में से एक है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेषों में स्त्री और पुरूष सशक्तिकरण के यह दावे तब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक हम कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को मिटा नहीं पाएंगे।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका :–

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएँ चलाई जाती है। इनमें से कई सारी योजनाएं रोजगार कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों से सम्बंधित होती है। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं के परिस्थिति को देखते हुए किया गया है ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

(1) बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना–

(2) महिला हेल्पलाइन योजना

(3) उज्जवला योजना

(4) सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप)

(5) महिला शक्ति केन्द्र –

(6) पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण –

भारत के प्रयास–

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबधित, घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा जैसे भारतीय विधान महिला सशक्तिकरण और बच्चों की सुरक्षा के प्रबल हिमायती रहे है।
- स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएँ, औपचारिक बैंकिग प्रणाली के तहत "200 मिलियन से अधिक महिलाओं" को जोड़ने के साथ महिला सशक्तिकरण में एक आयाम स्थापित किया जा रहा है।
- कोविड महामारी के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिये चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, कानूनी, पुलिस और आश्रय सुविधाएँ प्रदान करने वाले वन स्टॉप जैसे कई उपाय किये गए।
- इसके अतिरिक्त महामारी के दौरान कमजोर परिस्थितियों में महिलाओं और विशेष रूप से गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिये सामुदायिक देखभाल के वेहतर प्रयास किये गए।

चुनौतियाँ –

- जाति और धार्मिक विभाजन
- घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे अभी भी गंभीरता से भारतीय समाज में विद्यमान है।
- शिक्षा और गुणवत्ता पाठ्यक्रम में महिलाओं की सीमित भागीदारी विशेष रूप से उच्च शिक्षा नामांकन दर मे महिलाओं की स्थिति।
- जमीनी स्तर पर महिलाओं को परामर्ष, चिकित्सा, कानूनी आश्रय और अन्य सेवाओं तक पहुँच की असमर्थता।
- जन धन खाते महिलाओं को सीमित आर्थिक स्थिरता प्रदान कर पा रहे हैं।

महिला अधिकार संरक्षण की भूमिका :–

भारत के संविधान में सरकार द्वारा पुरूषों और महिलाओं के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार करने की पूर्णतया निषिध ठहराया गया है। संविधान में प्रत्येक महिला नागरिक को किसी दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी अन्य किसी स्थान में प्रवेष करने के मौलिक अधिकार को प्रत्याभूत किया है, भले ही इन स्थानों के स्वामी व्यक्ति–विशेष हो। संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैसियत की समानता उन लाखों महिलाओं के लिए केवल कल्पना है जो अपने घरो, कार्य स्थलों और शैक्षिक प्रणाली में विभिन्न प्रकार की हिंसा का षिकार होती है। भारत में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा संकलित की गई रिर्पोटों के अनुसार 2006 की तुलनामें2007 में महिलाओंके प्रति अपराध में 12. 5%की वृद्धि हुई।एनसीआरबी के ताजा आंकड़ो की बात करें तो इसके मुताबिक 2019 में भारत में महिलाओं के प्रति अपराध 7.3%बढ़ गए। करीब 31 प्रतिषत मामलों के लिए महिला के किसी न किसी जानने वाले को ही जिम्मेदार पाया गया।राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ो के मुताबिक, लॉकडाऊन के बीच महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन शोषण, घरेलू हिंसा और मारपीट की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है।

इन सभी क्षेत्रों का समन्वय और सामन्जस्य ही स्त्री को सशक्त बना सकता है समाज और देश की एक महत्वपूर्ण ईकाई बना सकता है, परन्तु सदियों की जड़ मानसिकता में परिवर्तन बहुत धीमा है।

निष्कर्ष (Conclusion) –

भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जोकि समाज की विस्तामक और पुरूष प्रभावयुंक्त व्यवस्था है। जरूरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लायें। उनको कौशल को उनकी जीवन रेखा बनाये। इन सबके लिए यह भी जरूरी है कि उनके आत्मविश्वास को जीता जाए। ताकि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और एक सुनियोजित भविश्य बना सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. Alexander, J. C. (2002) On the Social Construction of Moral Universals: The ‘Holocaust’ from War Crime to Trauma Drama. European Journal of Social Theory, 5(1): 5-85.
2. Arnold-de Simine, S. (2013) Mediating Memory in the Museum. Trauma, Empathy, Nostalgia, New York: Palgrave Macmillian. Assmann, A. (2007). Europe: A Community of Memory? Bulletin of the German Historical Institute, 40: 11-25.
3. Assmann, A. (2011) Cultural Memory and Western Civilization: Arts of Memory, Cambridge: Cambridge University Press.
4. Assmann, A. (2013) Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, München: Beck.
5. Assmann, A. & Conrad, S. (2012) Memory in a Global Age, London and New York: Palgrave MacMillan.
6. Assmann A. & Shortt, L. (2012) Memory and Political Change: Introduction, in Assmann & Shortt (eds), Memory and political change, Basingstoke and New York: Palgrave MacMillan, pp. 1-14.
7. Assmann, J. (2006), Religion and Cultural Memory. Ten Studies, Stanford: Stanford University Press.